

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं**  
**रोजगार विभाग, मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**  
**:: आदेश ::**


नया रायपुर, दिनांक .....10/11/17.....

क्रमांक एफ 9-49/2017/तक.शि./42 "छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही. के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति द्वारा अपने बैठक दिनांक 06.09.2017 को पारित संकल्प द्वारा निजी फार्मसी महाविद्यालयों में संचालित एम. फार्मसी, बी. फार्मसी एवं डिप्लोमा फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संलग्न परिशिष्ट- ए (एम.फार्मसी पाठ्यक्रम, सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20), परिशिष्ट- बी (एम. फार्मसी पाठ्यक्रम, सत्र 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19), परिशिष्ट- सी (बी.फार्मसी पाठ्यक्रम, सत्र 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21), परिशिष्ट- डी (डिप्लोमा फार्मसी, सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) एवं परिशिष्ट- ई (डिप्लोमा फार्मसी, सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) के अनुसार अंतिम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। यह निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित/पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता है। एम. फार्मसी एवं बी. फार्मसी के लिए शुल्क, प्रति सेमेस्टर निर्धारित/पुनरीक्षित किया गया है जबकि डिप्लोमा फार्मसी के लिए शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित/पुनरीक्षित किया गया है एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए यही शुल्क लागू रहेगा।

इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. संस्थाओं की यह शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये संबंधित सत्र के लिए एवं लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये उसके तत्काल पश्चात आने वाले सत्र के लिए लागू होगी। तथा पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये एक समान यही शुल्क लागू रहेगा।
2. परिशिष्ट ए, बी, सी, डी एवं ई में अंकित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क शामिल हैं।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क एवं शासन द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।
4. कौशल मनी रु. 1500/- केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं "न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
6. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय/चतुर्थ वर्ष में ही "न लाभ न हानि" के आधार पर लिया जा सकता है। यह शुल्क उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो।
7. एम.फार्मसी एवं बी.फार्मसी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी यदि द्वितीय या उच्च सेमेस्टर प्रारंभ होने के 15 दिन तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। किसी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय वर्ष/उच्चतर सेमेस्टर में ही देय है।
8. डी.फार्मसी पाठ्यक्रम के विद्यार्थी यदि द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने के 15 दिन तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 15/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। किसी वर्ष में प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वर्ष के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय वर्ष में ही देय है।
9. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/फाइन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाइन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी।

10. विद्यार्थी के द्वारा संस्था छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने पर संस्था को विधि अनुकूल तथा एआईसीटीई/यूजीसी/पीसीआई/राज्य शासन के दिशा निर्देशों और लागू नियमों के अनुसार विद्यार्थियों को फीस वापस की जावेगी।
11. विकास शुल्क की संपूर्ण राशि तथा अनिवार्य व्यय के पश्चात शेष रह गई राशि का उपयोग केवल उसी संस्था के विकास के लिये ही व्यय किया जावेगा। इस राशि का अन्य संस्था अथवा अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है।
12. किसी सत्र में प्रथम वर्ष में अथवा लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में प्रवेशित छात्रों को पूर्व में जमा की गई अंतरिम शुल्क एवं इस आदेश द्वारा निर्धारित अंतिम शुल्क के अंतर की राशि जैसा प्रकरण हो संस्था में जमा करना होगा अथवा संस्था द्वारा छात्र को वापस करना होगा।
13. संस्थाओं द्वारा प्रवेश के समय छात्र से स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माइग्रेसन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं, स्नातक का प्रमाण पत्र, निवासी एवं जाति के मूल प्रमाण पत्र, आदि) जमा नहीं करवाया जाना है। सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है। यदि कोई छात्र संस्था छोड़ना चाहता है तो छात्र के आवेदन पर उसे संस्था द्वारा संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाये।
14. निर्धारित अंतिम शुल्क उच्चतम है यदि कोई संस्था चाहे तो इससे कम शुल्क ले सकती है।
15. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेना अथवा निर्धारित मदों से अन्य मद में शुल्क लेना कैंपेडेशन शुल्क कहलायेगा एवं दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन की दोषी संस्था पर अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
(ईमिल लकड़ा)  
विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग  
नया रायपुर, दिनांक 10/11/2017

पृ.कमांकएफ 9-49/2017/तक.शि./42,  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लाक- 4 डी, भू-तल, नया रायपुर।
3. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, जिला दुर्ग, छ0ग0।
5. संबंधित निजी फॉर्मसी महाविद्यालय ..... को पालनार्थ।
6. आदेश फोल्डर तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(ईमिल लकड़ा)  
विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
एवं रोजगार विभाग

आदेश कमांक एफ 9-49/2017/तक.शि./42, दिनांक 10/11/17 का परिशिष्ट

**Schedule-A**

**(FEE STRUCTURE FOR M.PHARMACY)**


S.N.	Name of Institution	For academic sessions	Total Fees Per Semester Inclusive of growth & Development charges and all other fees including Misc. Fees
1	Shri Shankaracharya Technical Campus- Shri Shankaracharya Group of Institutions- Faculty of Pharmaceutical Sciences, Junwani, Bhilai	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 53,570/-

**Schedule-B**

**(REVISED FEE STRUCTURE FOR M.PHARMACY)**


S.N.	Name of Institution	For academic sessions	Total Fees Per Semester Inclusive of growth & Development charges and all other fees including Misc. Fees
1	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	2015-16, 2016-17, 2017-18	Rs. 53,570/-
2	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Kumhari	2015-16, 2016-17, 2017-18	Rs. 53,570/-
3	Rungta College of Pharmaceutical Science & Research, Bhilai	2016-17, 2017-18, 2018-19	Rs. 53,570/-
4	Columbia College of Pharmacy, Raipur	2016-17, 2017-18, 2018-19	Rs. 52,320/-

<b>Schedule-C</b>			
<b>(REVISED FEE STRUCTURE FOR B.PHARMACY)</b>			
<b>S.N.</b>	<b>Name of Institution</b>	<b>For academic sessions</b>	<b>Total Fees Per Semester Inclusive of growth &amp; Development charges and all other fees including Misc. Fees</b>
1	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 33,325/-
2	Columbia College of Pharmacy, Raipur	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 32,075/-
3	Royal College of Pharmacy, Dumartalab, Raipur	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 32,075/-
4	Rungta College of Pharmaceutical Science & Research, Bhilai	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 33,325/-
5	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Kumhari	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 33,325/-
6	Shri Shankaracharya Technical Campus- Shri Shankaracharya Group of Institutions- Faculty of Pharmaceutical Sciences, Junwani, Bhilai	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 33,325/-
7	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Bilaspur	2018-19, 2019-20, 2020-21	Rs. 32,075/-
8	Apollo College of Pharmacy, Anjora	2018-19, 2019-20, 2020-21	Rs. 32,075/-
9	J.K. College of Pharmacy, Bilaspur	2018-19, 2019-20, 2020-21	Rs. 32,075/-



Schedule-D			
(FEE STRUCTURE FOR DIPLOMA PHARMACY)			
S.N.	Name of Institution	For academic sessions	Total Fees Per Year Inclusive of growth & Development charges and all other fees including Misc. Fees
1	Ayush College of Pharmacy, Marwahi, District: Bilaspur	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 50,120/-
2	M.J. College of Pharmacy, Bhilai	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 50,120/-

Schedule-E			
(REVISED FEE STRUCTURE FOR DIPLOMA PHARMACY)			
S.N.	Name of Institution	For academic sessions	Total Fees Per Year Inclusive of growth & Development charges and all other fees including Misc. Fees
1	School of Pharmacy, Choukse Engineering College, Bilaspur	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 52,120/-
2	Rungta College of Pharmaceutical Science & Research, Bhilai	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 52,120/-
3	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Kumhari	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 52,120/-
2	Columbia College of Pharmacy, Raipur	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 51,120/-
3	Royal College of Pharmacy, Dumartalab, Raipur	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 51,120/-
4	Siddhi Vinayak Institute of Technology & Science, Bilaspur	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 51,120/-
5	Moulana Abul Kalam Azad College of Pharmacy, Raipur	2017-18, 2018-19, 2019-20	Rs. 50,120/-

  
 विशेष सचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन  
 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा  
 एवं रोजगार विभाग